

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)

द सं० एम० 131/2021

प्रथम पक्ष— चिन्ता साहु ।

बनाम

धारा 107 द० प्र० सं०

द्वितीय पक्ष— अजय साहु वगैरह ।

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी एवं तिथि
1	2	3
1 26/8/22	उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं० 52/2021 दिनांक 28/12/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष (1) चिन्ता साहु उम्र 50 वर्ष पिता स्व० टेहनू साहु वर्तमान पता ग्राम+थाना—बसिया जिला—गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) अजय साहु उम्र 40 वर्ष पिता स्व० धम्रपाल साहु (2) शम्भु साहु उम्र 22 वर्ष पिता स्व० बैशाखु साहु दोनों ग्राम तिरा थाना बसिया जिला गुमला के बीच आपसी विवाद का तनाव को लेकर विवाद होने एवं अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार द० प्र० सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया। निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उभय पक्ष उपस्थित। उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्षों द्वारा किसी प्रकार की शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया से अप्राप्त है। वाद पर कार्रवाई की समयअवधि समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित। 	अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)